(22)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3197–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–8–2014 पारित द्वारा आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशांगाबाद, प्रकरण कमांक 189/अपील/2009–10

.....

परशराम वल्द नंदराम कोटवार
निवासी ग्राम बगलौन तहसील बावई
जिला होशंगाबाद

..... आवेदक

विरूद्ध

1–श्रीमती जमना बेवा मूलचंद (मृत)
2–श्रीमती संतोष पत्नि नर्मदाप्रसाद पुत्री मूलचन्द
दोनों निवासी ग्राम पांडरी तहसील इटारसी
जिला होशंगाबाद
3–रामदुलारे वल्द नंदराम
निवासी सेमरी हरचंद तहसील सोहागपुर
जिला होशंगाबाद

..... अनावेदकगण

:: आदेश ::

(आज दिनांक 15/4/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशांगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–8–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा मौजा बगलोन स्थित भूमि सर्वे नम्बर 233 रकबा 1.829 एकड़ उभयपक्ष के नाम दर्ज है अतः तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 26–2–2008 को आदेश पारित करते हुये समान रूप से बटवारा किये जाने के आदेश दिये गये। तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28–10–2009 अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 7–8–14 को आदेश पारित करते हुये अपील अमान्य की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक द्वारा स्वयं उपस्थित होकर मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि प्रश्नाधीन भूमि का मूलचन्द ने अपने जीवनकाल मे ही पारिवारिक व्यवस्था के तहत ही आवेदक को दी थी और आवेदक मूलचंद के जीवनकाल से बतौर मालिक काबिज कास्त है । प्रकरण में पारिवारिक व्यवस्था के कारण प्राप्त भूमि तथा आवेदक के कब्जे के संबंध में कभी कोई कार्यवाही अनावेदकगण द्वारा नहीं की गई । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है कि अनावेदक कमांक 1 व 2 का प्रश्नाधीन भूमि पर कभी कोई कब्जा ही नहीं रहा है और संहिता की धारा 250 के लिये आवश्यक है कि संबंधित भूमि संबंधित कृषक का कब्जा रहा हो और उसे किस तारीख को कैसे किस तारीख को कैसे बेदखल किया गया, का उल्लेख किया जाना आवश्यक रहता है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि पटवारी द्वारा संहिता की धारा 178 के तहत प्रस्तुत फर्द बटान के तहत आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु सुना जाना आवश्यक है परन्तु आवेदक को न तो आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया और न ही आवेदक को सुना गया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया के विपरीत कार्यवाही है । यह भी कहा गया कि व्यवस्था पत्र 1989 में लिखा जाकर मूलचंद के हस्ताक्षर है जो स्वंय मूलचंद द्वारा

लिखा गया है जिसे अनावेदकगण द्वारा स्वीकार किया गया है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में अपील माननीय उच्च न्यायालय में अपील लंबित है, यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लाये जाने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही स्थगित नहीं करने में भूल की है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया है कि पक्षकारों–के मध्य समान रूप से बटवारा किये जाने की बात उचित नहीं है क्योंकि अभिलेख में नाम दर्ज नहीं होने से संबंधित पक्षकार बराबर संपत्ति पाने का अधिकारी नहीं रहता है । अंत में कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों का यह वैधानिक दायित्व था कि वह प्रश्नाधीन भूमि के वास्तविक भूमिस्वामी व स्वत्व के निराकरण कराने हेतु सक्षम न्यायालय से निराकृत कराने का आदेश दिया जाना था । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि उभयपक्ष के नाम शासकीय अभिलेख में अभिलिखित है तथा संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत प्रावधानित है कि अभिलेख के सहखातेदारों के मध्य समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिये । विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष की साक्ष्य अंकित कर गुणदोषों के आधार पर फर्द बंटान प्राप्त कर प्रकरण का निराकरण कर आदेश पारित किया गया है । आवेदक द्वारा जिन आधारों पर अपने दो तिहाई हिस्से की मॉग की गई है उसके संबंध में व्यवहार न्यायालय में आवेदक का दावा निरस्त हुआ है । ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के आदेश को अपीलीय न्यायालयों द्वारा स्थिर रखने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है। इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध

आनन्दस्वरूप व अन्य में निम्नलिखित न्यायिक-सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है –

"धारा –50 – समवर्ती निष्कर्ष – अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं – पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये।"

अतः उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशांगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–8–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर